उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2

संख्या- 43 /2021/ 2680 /92-2-2021-34एम/2020

लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बस्ती में त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन अधोमानक मार्गों की टी0ए0सी0 जांच आख्या के अनुसार ग्राम परसा परसराम पुर रोड पर स्थित जीतीपुर ग्रामसभा में बिरवा बाबा के स्थान से चितसेन के घर तक पिच रोड निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितताओं हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1856/92-2-2020-34एम/2020 दिनांक 14.12.2020 द्वारा श्री अनावरूल हक, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बस्ती के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जांच के संपादनार्थ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री अनावरूल हक पर कुल 04 आरोप अधिरोपित किया गया। जांच अधिकारी के पत्र संख्या- 425/ग्रा0अ0वि0/जांच-एस0टी0-बस्ती/2020-21, दिनांक 25.06.2021 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों की जांचकर जांच आख्या उपलब्ध कराया गया, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोप स्थापित नहीं पाया गया था किन्तु आरोप संख्या-01 एवं 03 की विवेचना में आंशिक आरोप स्थापित होना अंकित था। अतः उक्त आरोपों की विवेचना एवं निष्कर्ष में विरोधाभाष होने की स्थिति में शासन के पत्र संख्या-2359/92-2-2021-34एम/2020 दिनांक 29.07.2021 द्वारा पदेन जांच अधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई, जिसके क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- गोरखपुर के पत्रांक-896/ग्रा0अ0वि0/आशुलिपिक/जांच-कार्यवाही-बस्ती/2021-22, दिनांक 07.09.2021 द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रश्नगत कार्य की फोटोग्राफ/रिपोर्ट आदि संलग्न कर आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि आरोप संख्या' 01 एवं 03 प्रमाणित नहीं पाया गया है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल-गोरखपुर की आख्या दिनांक 07.09.2021 के परीक्षणोंपरान्त अपचारी अधिकारी पर आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1856/92-2-2020-34एम/2020 दिनांक 14.12.2020 द्वारा श्री अनावरूल हक, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बस्ती के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 43 /2021/ 2680 (1)/92-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री अनावरूल हक, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बस्ती द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।